

FORM No. III

फर्द अहकाम (नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

प्रार्थना पत्र सं. 349 / 2025

दायरा दिनांक : 07.11.2025

प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उनवान

मानू 510 प्रथम मनोहर मीणा नि० साली

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर, जिला झालावाड राज0

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये
07 / 11 / 2025	ग्रामीण सेवा शिविर में प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही अशुद्धि/त्रुटी को दुरुस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। निर्धारित प्रारूप में अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की जाकर बाद जांच रिपोर्ट प्राप्ति पत्रावली दिनांक 11/11/2025 को पेश को हो।  उपखण्ड अधिकारी पिडावा, जिला झालावाड (राज०)	
11 / 11 / 2025	पत्रावली पेश हुई। निर्धारित प्रारूप में प्रतिवादी/पेरोकार सरकार तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी व पेरोकार सरकार उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता है कि प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में राजस्व कार्मिकों द्वारा भू.प्रबंध सर्वे-रिसर्वे के दौरान या फर्द बदर बनाते समय या नामान्तरण दर्ज करते समय कोई टाईपिंग या लिपीकीय त्रुटी गई हो। अतः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे।  (दिनेश कुमार मीणा) सहायक लेण्ड रिकार्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, पिडावा पिडावा, जिला झालावाड (राज०)	

